पंजीयन क्रमांक 12.2.15

मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 153 दिनांक 12–12–2015

स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय को राज्य शासन के माध्यम से द्वितीय चरण की प्रतिस्पर्धा हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाना तथा स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन के लिये **Special Purpose Vehicle** (**SPV**) के गठन की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 197/एस.ई./योजना/15 दिनांक 11.12.2015 पर विचार किया गया तथा आयुक्त द्वारा योजना के संबंध में विस्तृत पावर पाईंट का प्रस्तुतीकरण निगम परिषद बैठक में किया गया ।

2. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य की उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर इन्दौर नगर को स्मार्ट सिटी परियोजना के प्रथम चरण में चयनीत किया गया है, जिसके संबंध में निगम परिषद द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 16 दिनांक 16.07.2015 से स्वीकृति प्रदान की गई थी।

3. स्मार्ट सिटी परियोजना के द्वितीय चरण हेतु आयुक्त द्वारा विस्तृत स्मार्ट सिटी परियोजना का वित्तीय प्रावधानों को सम्मिलित करते हुये भारत सरकार की गाईड लाईन अनुसार प्रस्ताव (**Smart City Proposal**) प्रस्तुत किया गया साथ ही **Special Purpose Vehicle** (**SPV**) के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

4. विचारोपरान्त इन्दौर शहर में स्मार्ट सिटी प्रपोजल के तहत् चयनीत राजवाड़ा क्षेत्र के संबंध में तैयार किया गया विस्तृत प्रस्ताव एवं राशि रूपये 5099.60 करोड़ का वित्तीय प्लान स्वीकृत बहुमत से किया गया तथा राज्य शासन एवं केन्द्र शासन को योजना प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की जाती है। साथ ही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत् स्मार्ट सिटी प्रपोजल के क्रियान्वयन हेतु **Special Purpose Vehicle** (SPV) के गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह भी स्वीकृति प्रदान की जाती है कि **Special Purpose Vehicle** (**SPV**) स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत् चयनीत राजवाड़ा क्षेत्र में सार्वजनिक भूमियों का उपयोग विभिन्न जनसुविधायें निर्मित करने हेतु लायसेंस प्राप्त कर, कर सकेंगी।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह.)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 12.12.15

क्रमांक 330–31
प्रतिलिपिः–
1. आयुक्त।
2. रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 153

मेयर–इन–काउंसिल संकल्प क्रमांक 154 दिनांक 12–12–2015

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हाउसिंग फार आल प्लान ऑफ एक्शन एवं डी.पी.आर. बनाये जाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमाक 200 ए दिनांक 11.12.2015 पर विचार किया गया। आयुक्त द्वारा योजना के संबंध में विस्तृत पावर पाईंट का प्रस्तुतीकरण महापौर परिषद बैठक में किया गया ।

2 आयुक्त द्वारा प्रस्तुत पावर पाईन्ट अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत वर्ष 2015 से 2022 के दौरान ''सबके लिए आवास'' के तहत् योजना के प्रथम चरण राज्य शासन द्वारा चयनीत इन्दौर शहर के क्षेत्र की गतिविधियों एवं अन्य रिपोर्ट तैयार करने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार योजना का प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया है। सबके लिए आवास योजना के त्वरित एवं समुचित क्रियान्वयन के लिये भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन में दिये गये दिशा– निर्देश के क्रम योजना के कार्य क्षेत्र का वर्गीकरण निम्ननुसार किया गया है :–

(1)भूमि का संशाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों का पुनर्वास व स्लम का विकास।
(2)ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन।
(3)सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास।
(4)लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी।

3.विचारोपरान्त आयुक्त द्वारा प्रस्तुत पावर पाईन्ट के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत ''सबके लिए आवास'' के तहत् इन्दौर शहर के क्षेत्र के लिये मिशन अवधि 2015–2022 हेतु भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार योजना का प्लान ऑफ एक्शन राशि रुपये 10,139.30 करोड़ का अनुमोदन एवं कार्योत्तर स्वीकृति सर्वसम्मति से की जाती है।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावें।
इस बाबत् नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

(ह)श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर–इन–काउंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक31–32

दिनांक 12.12.15

प्रतिलिपिः–
1.आयुक्त।
2.रेसीडेन्टआडिट।
की ओर जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर